न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–160 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.010005262026

अरुण श्रीवास्तव उम्र लगभग 75 वर्ष पुत्र इकबाल नारायण श्रीवास्तव, निवासी बी.–73 निराला नगर, थाना कोतवाली हसनगंज, लखनऊ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1.उत्तर प्रदेश राज्य।

2.प्रदीप कुमार उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र सत्य नारायण लाल, निवासी गड़ेरियापुर, थाना–सुरियाँवा, जनपद–भदोही, प्रो०फर्म रेनू स्पोट। विपक्षीगण।

परिवाद संख्या–537 सन् 2011
धारा–420, 421, 467, 468, 471
एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त अरुण श्रीवास्तव की ओर से प्रार्थनापत्र दाण्डिक परिवाद संख्या–537 सन् 2011, धारा–420, 421, 467, 468, 471 एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता थाना–ज्ञानपुर, जनपद भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा परिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा परिवाद संख्या–537 सन् 2011 की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

3. संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी प्रदीप कुमार फर्म रेनू एक्सपोर्ट गड़ेरियापुर जिला संत रविदासनगर भदोही का प्रोपराइटर है। उक्त फर्म में कालीन का निर्माण तथा स्पोर्ट होता है। उक्त फर्म रजिस्टर्ड फर्म है तथा इसके खाते बही बाकायदा सेल टैक्स एवं इनकमटैक्स से जुड़े रहते हैं। परिवादी यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर में निर्यात एक्सपोर्ट हेतु एक बिल नम्बर–1 तथा बैंक का रिफरेन्स नम्बर 352177 के द्वारा दिनांक 08.10.1999 को 51 रोल कारपेट मेसर्स फार पवेलियन अमेरिका का इस शर्त पर एक बिल जिसमें बिल आफ लेडिंग हुण्डी दिया था कि 90 दिन के अंदर पेमेन्ट लेकर पार्टी को बिल दे देंगे। दिनांक 30.11.1999 को बिल नम्बर 352177 यूनियन बैंक आफ इण्डिया उक्त को परिवादी ने दे दिया था। उक्त बिल रुपये 6,72,144/–यानि 15380/–प्वाइंट 88 डालर का था, जिसमें परिवादी को मु० 2,62,144/–रुपया दिया तथा चार लाख दो हजार रुपया परिवादी के लोन एकाउन्ट में जमा कर दिया। अभियुक्त नम्बर 3 अरुण कुमार श्रीवास्तव व सुनील कुमार गोयल उक्त अभियुक्तगण बैंक को अपने साजिश में करके षडयंत्र के तहत परिवादी का फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी लेटर पैड छपवाकर लेटर हेड पर बना दिया और उन्होंने बसाजिश

परिवादी का हस्ताक्षर प्रमाणित किया। उक्त लेटर हेड दिनांक 06.07.2000 को अभियुक्त ने छपवाकर बनाया था, जिसका पेमेन्ट परिवादी को नहीं मिला। उक्त फर्जी लेटर हेड व फर्जी हस्ताक्षर पर परिवादी का बिल ले लिया और उसका पेमेन्ट परिवादी को नहीं किया और डी.आई.टी. इलाहाबाद में परिवादी के खिलाफ मुकदमा गलत ढ़ंग से करके वसूली का लेटर भेजा। जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की गाइड लाइन ए०आर०टी० 109 यू.आर.सी.522 में दिया है। उक्त कार्य अभियुक्तगण ने जानबूझकर परिवादी को धोखा देने की नियत से परिवादी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तथा फर्जी लेटर पैड छपवाकर अनावश्यक लाभ प्राप्त करने हेतु एक दस्तावेज कूटरचित किया तथा छल करने के प्रयोजन से उसे अपने उपयोग में लेकर आपराधिक कार्य किया है। परिवादी ने घटना के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र ज्ञानपुर व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र डाक से दिया जब कोई कार्यवाही नहीं की गयी तब यह परिवाद दाखिल किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी की तरफ से प्रस्तुत स्वयं का बयान धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा परिवादी साक्षी क्रमांक–1 अरविन्द कुमार का बयान धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में पुलिस अधीक्षक संत रविदास नगर भदोही को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, लेटर हेड दिनांकित 06.07.2000 की छाया प्रति, अरुण श्रीवास्तव के लेटर दिनांकित 25.07.2000 की छाया प्रति, बैंक स्टेटमेण्ट की छाया प्रति, अरुण कुमार के लेटर दिनांकित 23.11.2000 की छाया प्रति, बाउचर बैंक की छाया प्रति, इनवाइस की छाया प्रति, बिल आफ लीडिंग की छाया प्रति, व एग्रीमेंट की छाया का अवलोकन करने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण छंगा सिंह, अरुण श्रीवास्तव व सुनील कुमार गोयल को धारा–420, 421, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि परिवादी ने उपरोक्त मुकदमा आवेदक के विरुद्ध झूंठे तथ्यों व फर्जी तौर पर कराया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा वह निर्दोष है। वादी मुकदमा ने परिवाद पत्र आवेदक को झूंठा फंसाने की दुर्भावनापूर्ण नियत से प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। परिवाद पत्र में घटना सन् 1999 से सन् 2000 के मध्य होना कहा गया है, जबकि परिवाद 11 साल के विलम्ब से सन् 2011 में दाखिल किया गया है और विलम्ब का कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा ने अपने प्रार्थना पत्र को दफा 4 में यह स्वीकार किया है कि बैंक द्वारा वादी को 2,62,144/– रूपया दिया तथा शेष 4,02,000/– रूपया वादी मुकदमा के लोन अकाउन्ट में जमा करा दिया गया, फिर दफा 5 में कहा गया कि वादी मुकदमा का फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी, लेटरपैड़ बना दिया और बसाजिश वादी मुकदमा का हस्ताक्षर प्रमाणित किया, जिसका पेमेन्ट वादी मुकदमा को नही मिला, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के कथानक में काफी विरोधाभास है। परिवाद में कही भी यह नहीं बताया गया कि कितना पेमेन्ट वादी मुकदमा को नही मिला व उपरोक्त पेमेन्ट किस अभियुक्त के खाते में किस तारिख को किया गया। वादी मुकदमा द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य परिवाद में नही दिया गया, जिससे स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी लेटरपैड़ बनाकर अनैतिक लाभ अर्जित किया है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा ने अपने फर्म के बिजनेश को चलाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ज्ञानपुर, जिला भदोही से कैश क्रेडिट लोन लिया था, जिसे वह अदा नही कर पाया, जिस कारण यूनियन बैंक द्वारा माननीय डी.आर.टी. इलाहाबाद में वसूली के लिए ओ.ए.–45/2002 दाखिल किया गया, जिसने माननीय डी.आर.टी. इलाहाबाद को अपने आदेश दिनांक 23.08.2010 को वादी मुकदमा व उसके फर्म के विरूद्ध 1039610/– रूपया का रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके पश्चात वादी मुकदमा द्वारा माननीय डी.आर.टी. इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.08.2010 का माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद में सिविल रिट याचिका संख्या 63675/2010 में चैलेंज किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वादी मुकदमा की याचिका अपने आदेश दिनांक 25.10.2010 से खारिज कर दिया। वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त दोनो न्यायालय माननीय डी.आर.टी. इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय से कोई अनुतोष न मिलने पर प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 21.02.2011 का एक झूठा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी०आर०पी० सी० दाखिल किया गया। वादी मुकदमा द्वारा न माननीय डी.आर.टी. इलाहाबाद, न ही माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में घटना के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया, जबकि घटना सन् 1999 से 2000 की कही गयी है, जबकि उपरोक्त दोनो माननीय न्यायालय में 2002 से 2010 तक विचाराधीन रहा, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी अपने सिविल लाइबोलेटिज से बचने के लिए एक झूठा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी०आरी०पी०सी० अभियुक्तगण के विरूद्ध सन् 2011 में दाखिल किया गया। आवेदक न तो अमेरिकन फर्म फार पवेलियन का प्रोपराइटर है, न ही किसी प्रकार उक्त फर्म का बेनीफिसअरी है। जिस समय की घटना कारित करना कहा जा रहा है, उस समय आवेदक अमेरिका में था। उपरोक्त मुकदमें में सहअभियुक्त पूर्व प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा दिनांक 26.05.2022 को उन्मोचित कर दिया गया है, उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया कि सहअभियुक्त छंगा सिंह तथाकथित दिनांक व समय को उनकी नियुक्ति उक्त ब्रान्च में नही थी, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा द्वारा रंजिजशन व झूठे तौर पर फर्जी प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा उपरोक्त मुकदमें में सम्मनिंग आदेश दिनांक 20.07.2011 के विरूद्ध माननीय न्यायाधीश महोदय भदोही के यहाँ फौजदारी पुनरीक्षण दफा 138 सन् 2011 दाखिल किया गया, जिसे माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2015 की खारिज कर दिया गया, उपरोक्त आदेश दिनांकित 20.07.2011 व 30.02.2015 से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 'रिट याचिका संख्या 9076/2015 दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.04.2015 से उपरोक्त मुकदमें में आवेदक के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त क्रिमिनल रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने अपने आदेश दिनांकित 13.09.2021 की अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसकी सूचना आवेदक को नही हुई। अतएव आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में उक्त रिट याचिका के पुर्नस्थापन (Recall) के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जो कि सुनवाई हेतु अभी लम्बित है। अवर न्यायालय द्वारा धारा 202 सीआर.पी.सी. में उल्लिखित उपबन्धों का अनुपालन किये बिना परिवाद पर संज्ञान लेते हुए आवेदक/अभियुक्त को तलब किया गया है। आवेदक जनपद लखनऊ का निवासी है। जबकि परिवाद जनपद भदोही स्थित न्यायालय में संस्थित किया गया है। आवेदक ने न तो कोई फर्जी अभिलेख बनाया, न वादी का फर्जी हस्ताक्षर कही बनाकर जाली फर्जी धोखाधड़ी करने हेतु वादी का कोई रुपया लिया, न आवेदक के विरुद्ध कोई ऐसा साक्ष्य है। आवेदक किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं परिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत कहा गया है कि मुकदमा, वादी दिनांक 21.02.2011 ई० को प्रार्थना पत्र सी०आर०पी०सी० की धारा–156 (3) में दाखिल किया था। कथानक अभियुक्तगण यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर प्रबंधक सुनील गोयल, अरूण श्रीवास्तव थे। छग्गा सिंह नहीं थे। दिनांक 08.01.1999 ई० को जो मैने 51 रोल ऊनी कारपेट फार पवेलियन यू०एस०एस० को भेजा था. उस बिल को मैने पर्चेज कराया था। उस समय 15380.88

यू०एस० डालर भारतीय रूपये में 6,72,144/–रूपये होता था, जोकि 2,72,000/– रूपये प्राप्त हुआ। शेष रूपये मार्जिन मनी में डाल दिया गया। उसका बाउचर संलग्न है। फर्जी लेटर हेड 06.07.2000 ई0 का जांच हुआ। छग्गा सिंह शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर में लिख कर दिया है कि, जो लेटर सुनील कुमार गोयल पूर्व प्रबंधक प्रमाणित किये है, वह बैंक रिकार्ड के अनुसार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का हस्ताक्षर मेल नहीं खाता है। सी०ओ० ज्ञानपुर ने कोतवाली ज्ञानपुर को एफ०आई०आर० लाज करने का आदेश दिया था, लेकिन अरूण श्रीवास्तव के प्रभाव के कारण एफ०आई०आर० दर्ज नही हुआ इसका प्रमाण संलग्न है। परिवाद 11 साल बाद इसलिए दाखिल किया गया कि, प्रार्थी के उपर DRT में जब यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर द्वारा प्रार्थी के उपर मुकदमा किया गया था तो उस समय प्रार्थी के उपर कोई कर्ज नही था, केवल फार पवेलियन बिल नं0–352177 बाकी था। DRT ने कहा कि, 06.07.2000 ई० का जो लेटर हेड के द्वारा शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रमाणित किया है, इसलिए फार पवेलियन ने पेमेन्ट नही किया। तब प्रार्थी ने इसकी जांच एस०पी० भदोही से करायी और परिवाद दाखिल किया। बिल पर्चेज जो 15380.88 डालर का था वह भी तो लोन ही था जब तक पेमेन्ट नही आयेगा तो लोन ही है इसलिए मैने कहा था कि, 4,00,000/– रूपये बिल पर्चेज का था जो कि लोन जमा हो गया और उस पर ब्याज बढ़कर 10 लाख हो गया है। जब फर्जी ढंग से बिल कैश अगेन्स्ट डाकूमेन्ट का फर्जी तरीके से ले लिये, न तो पेमेन्ट किये, और न ही बिल वापस किये। एक डालर का भी पेमेन्ट नही आया तो मैं क्या बताता किस तारीख को आया। शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर छग्गा सिंह उप पुलिस अधीक्षक (सी०ओ) ज्ञानपुर ने पत्र में लिखकर दिया है कि, जो फर्जी हस्ताक्षर प्रदीप कुमार का बनाया गया है, उस फर्जी हस्ताक्षर को सुनील गोयल प्रबंधक शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर के द्वारा प्रमाणित किया गया है, वह प्रदीप कुमार के बैंक रिकार्ड के अनुसार मेल नहीं खाता है। वास्तविकता यह है कि, फर्म चलाने के लिए नही बल्कि फारेन बिल पर्चेज के लिए (एफ०डी०बी०पी०) लिमिट लिये थे, लेकिन फारेन की पार्टी और शाखा प्रबंधक सुनील गोयल मिलकर कैश अगेन्स्ट डाकूमेन्ट बिल नं0 352177 को बिना पेमेन्ट किये ले लिये। जिसके कारण पार्टी कर्जदार हो गया, और डी०आर०टी० इलाहाबाद में मुकदमा पार्टी के उपर कर दिया। यदि डी०आर०टी० इलाहाबाद में मुकदमा पार्टी के उपर नही होता तो प्रार्थी को इस जालसाजी का पता नहीं चलता। बिल नं0–352177 जो पर्चेज कराये थे, उसका इन्टरेस्ट आदि होकर 10 लाख 39 हजार 610 रूपये का रिकवरी वारण्ट जारी हुआ। तब प्रार्थी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया रिट खारिज होने के बाद प्रार्थी को पता चला कि, यह सब खेला 06.07.2000 के लेटर का है, जो अरूण कुमार श्रीवास्तव फार पवेलियन के मालिक और शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ज्ञानपुर के सुनील गोयल ने किया था। डी०आर०टी० द्वारा दिनांक 21.02.2011 ई० को जब आर्डर मिला और उसे 6.7.2000 के लेटर के द्वारा प्रार्थी का पेमेन्ट न आने का कारण था। तब प्रार्थी ने 06.07.2000 ई0 के लेटर की जांच कराया। उप पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा इसकी जांच हेतु तब शाखा प्रबंधक छग्गा सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया कि, जो 06.07.2000 का लेटर है, उस पर जो हस्ताक्षर है वह प्रदीप कुमार के अन्य हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाता है। उप पुलिस अधीक्षक ज्ञानपुर को निर्देशित किया कि, सुनील कुमार गोयल शाखा प्रबंधक ज्ञानपुर तथा अरूण श्रीवास्तव के उपर एफ०आई०आर० दर्ज करें। लेकिन अरुण श्रीवास्तव के प्रभाव के कारण एफ०आई०आर० दर्ज नही हुई। साक्ष्य संलग्न कर रहा हूं। छग्गा सिंह के उपर तो कोई चार्ज ही नहीं था, बल्कि छग्गा सिंह ने ही प्रमाणित किया है, जो अरूण श्रीवास्तव ने फर्जी लेटर पैड दिया है, उस पर जो हस्ताक्षर सुनील कुमार गोयल ने प्रमाणित किया है, मेल नहीं खाते है। उप पुलिस अधीक्षक ज्ञानपुर को प्रमाणित किया है। अभियुक्त अरूण कुमार श्रीवास्तव लखनऊ

व अमेरिका दोनों जगह का निवासी है, इसलिए उन्होनें बिल नं० पी–352177 यू०एस० डालर 15380.88 अमेरिका से फ्राड किये है। इसलिए 202 सी०आर०पी०सी० की धारा–2 (1) लागू नही होगी। यह अर्न्तराष्ट्रीय फ्राड है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही द्वारा जांच की गयी है, जिसमें यह नियम लागू नही होता है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण दिनांक 20.07.2011 से 13.09.2021 कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नही हुई थी। उसके उपरान्त ही हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यू०आर०सी० 522 में प्राविधान है कि, पर्चेज बिल जो बैंक ने किया है, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी है, या तो बैंक ऑफ पेमेन्ट फारेन से मंगवा कर पार्टी को दे या पार्टी का बिल वापस करें। लेकिन सुनील कुमार गोयल शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया फर्जी लेटर हेड अरूण कुमार से लेकर प्रमाणित करके बिल उनको हैण्ड ओवर कर दिया। जिसका प्रमाण संलग्न कर रहा हूं। अरूण कुमार श्रीवास्तव ने केवल एक ही बिल नही बल्कि प्रशान्त बजाज का करोड़ो डालर का फ्राड किये है। प्रशान्त बजाज नई दिल्ली, फिरोज कार्पेट गोपीगंज, शेठी कार्पेट जयपुर, एके कार्पेट भदोही इसके अलावा बहुत से है। जरूरत पर सबका प्रमाण दिया जायेगा। जिसकी कॉपी संलग्न है। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा हाजिरी हेतु लगभग 11 साल से चल रहा है, परन्तु जानबूझकर मुकदमा में हाजिर नही आ रहे है, और प्रार्थी को धमकी देते रहते है कि, हमने कोर्ट को मिला लिया है, मेरा कुछ नही होगा। एक साल बाद अन्त में मजबूर होकर अग्रिम जमानत की याचिका श्रीमान् जी के यहां दाखिल किया है, जो क्षम्य नही है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। वादी मुकदमा की ओर से सूची दिनांकित 16.03.2026 से कुल 10 दस्तावेजों की छाया प्रतियां दाखिल की गयी है।

6. उल्लेखनीय है कि परिवाद संख्या–537 सन 2011, प्रदीप कुमार विरुद्ध यूनियन बैंक आफ इण्डिया व अन्य के मामले में दिनांक 20.07.2011 को आवेदक/अभियुक्त अरुण श्रीवास्तव को अन्य सहअभियुक्तगण छग्गा सिंह व सुनील कुमार गोयल के साथ अन्तर्गत धारा–420, 421, 467, 468, 471, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विचारण हेतु तलब किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 26.05.2022 को अभियुक्त छग्गा सिंह को प्रश्नगत परिवाद के आरोप से उन्मोचित किया गया है। प्रश्नगत परिवाद यूनियन बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबन्धक छग्गा सिंह, अरुण श्रीवास्तव व सुनील कुमार गोयल पूर्व शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध दिनांक 07.01.2011 को संस्थित किया गया है, जिसमें घटना दिनांक 23.08.2010 को दर्शित की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा अपने परिवाद पत्र के प्रस्तर 5 व 6 में यह अंकना की गयी है कि, "अरुण कुमार श्रीवास्तव व सुनील कुमार गोयल उक्त अभियुक्तगण बैंक को अपने साजिश में करके षडयंत्र के तहत उसका फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी लेटर पैड छपवाकर लेटर हेड बना दिया। उन्होंने बसाजिश परिवादी का हस्ताक्षर प्रमाणित किया। उक्त लेटर हेड दिनांक 06.07.2000 को अभियुक्तगण ने छपवाकर बनाया था, जिसका पेमेंट उसे नहीं मिला। डी.आर.टी.इलाहाबाद में परिवादी के खिलाफ मुकदमा गलत ढ़ंग से वसूली का लेटर भेजा गया। अर्थात घटना दिनांक 06.07.2000 की है तथा परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी कहा जा रहा है कि डी.आर.टी.इलाहाबाद में अभियुक्तगण द्वारा गलत ढ़ंग से मुकदमा वसूली का परिवादी के विरुद्ध किया गया।

7. अभिलेख पर दाण्डिक प्रकीर्ण रिट पिटीशन संख्या–9076/2015 की प्रति दाखिल है। यह पिटीशन आवेदक/अभियुक्त अरुण श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित की गयी है, जिसमें दिनांक 15.04.2015 को प्रश्नगत परिवाद में कोई भी प्रपीडनात्मक कार्यवाही आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध न किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है। दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–9076/2015 में दिनांक 13.09.2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि अभियोजन के

अभाव में आवेदक/ अभियुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा दाखिल रिट को निरस्त किया गया। उपरोक्त रिट याचिका संख्या–9076/2015 अरुण कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 05.02.2026 को आदेश दिनांकित 13.09.2021, जिसमें प्रश्नगत आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज किया गया था, के रेस्टोरेशन हेतु विपक्षी संख्या–2 को नोटिस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गयी है।

8. अभिलेख पर रिट याचिका संख्या–63675 सन् 2010 द्वारा मेसर्स रेनू एक्सपोर्ट जो कि प्रस्तुत प्रकरण के परिवादी हैं, के द्वारा उक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है, की प्रति दाखिल है, जिसमें यह अंकना है कि मेसर्स रेनू एक्सपोर्ट विरुद्ध यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा संत रविदास नगर भदोही को व्यवसाय हेतु ऋण लिया था, जिसमें डेट रिकबरी ट्रिबुनल द्वारा अपने आदेश दिनांकित 23.08.2010 से रिकबरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

9. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

10. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त अरुण श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त को मु0–1,00,000/– (एक लाख) रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू लेकर इस शर्त के साथ दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेगा कि–

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा, धमकायेगा और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन, धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होगा।

दिनांक–18.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court